यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
22/021	136 LRAct	बिंदाराडी	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
श्यामलाल	बनाम	राजस्थान सरकार 2021/117

वकील :- बृजराज सिंह राजावत **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
30/7/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/8/021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारां (राज0)	
16/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। वास्ते इंतजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 6/9/21 को पेश हो।	
6/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 18.10.21 को पेश हो।	
8/8/22	राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प के लिए पत्रावली में दिनांक 13/8/22 नियत की जाती है। लोक अदालत कोर्ट कैम्प मे निस्तारण नहीं होने की दशा में पूर्ववत् दिनांक 31/8/22 को न्यायालय में पेश हो। रीडर आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां **राजस्व लोक अदालत** **कैम्प कोर्ट** छबड़ा 13/8/22	
13/8/22	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 13/8/22 को पेश हुई। वकील प्रार्थी सरकार पैरोकार उपस्थित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct उक्त आशय का पेश किया गया है। कि प्रार्थीगण की	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	आराजी खाता संख्या 135 की खसरा नं. 38 का रकबा 2.11 बीघा व ख.नं. 187 रकबा 0.12 बिघा कुल रकबा 2.23 बीघा वाके ग्राम बिंदारगढ़ी तह० छबड़ा जिला- बारां में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की आराजी में सम्वत 2034- 2037 की जमाबंदी नकल में प्रार्थीगण के दादा (पितामह) का नाम पन्ना चमार दर्ज है तत्कालीन राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों की द्वारा सहवन से पन्ना चमार के स्थान पर जमाबंदी सम्वत 2038 - 2041 में गूजर दर्ज कर दिया तत्पश्चात में पितामह का नाम पन्नालाल के स्थान पर माधो अंकित कर दिया जो वर्तमान में मोत्या पुत्र माधो गूजर दर्ज है। जो माधो के स्थान पर पन्ना तथा गूजर के स्थान पर चमार (बैरवा) शुद्ध किया जाना अति आवश्यक है।
	प्रार्थीगण को उक्त समस्या की वजह से उक्त आराजी में न तो इंतकाल खुल रहा है और न ही बैंक से के.सी.सी. मिल रही है। इसलिए उक्त नाम और जाति को शुद्ध किया जाना आवश्यक हो गया है। अत: श्रीमान से निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पितामह का नाम व जाति शुद्ध करने की आज्ञा फरमावें।
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि जमाबंदी सम्वत 2075-78 में वादी के पिता का नाम मोत्या पुत्र माधो दर्ज है जमाबंदी सम्वत 2034- 37 में मोत्या पुत्र पन्ना जाति चमार दर्ज है लेकिन इसके पश्चात बनने वाली जमाबंदी सम्वत 2038 - 2041 में खाता संख्या 104 पर सहवन से पितामह का नाम के स्थान पर माधो व जाति चमार के स्थान पर गूजर दर्ज कर दी गई। जो आज तक चला आ रहा है।
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)	अत: वादी के पितामह का नाम माधो

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
के स्थान पर पन्ना एंव जाति गूजर के स्थान पर चमार (बैरवा) दर्ज किया जाना उचित होगा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2034-37 खाता संख्या 75 में प्रार्थी के पितामह का नाम मोत्या पुत्र पन्ना कौम चमार ~~सं~~ एंव खाता संख्या 76 में भी मोत्या पुत्र पन्ना दर्ज रिकार्ड होना पाया जाता है। जमाबंदी सम्वत 2038-2041 का अवलोकन करने पर खाता संख्या 104 में प्रार्थी के पितामह का नाम मोत्या पुत्र पन्ना जाति गूजर एंव खाता संख्या 105 में प्रार्थी के पितामह का नाम मोत्या पुत्र पन्ना जाति चमार दर्ज होना पाया जाता है। जमाबंदी सम्वत 2047-2050 का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के पितामह का नाम खाता संख्या 111 में मोत्या पुत्र पन्ना कौम गूजर एंव खाता संख्या 112 में मोत्या पुत्र पन्ना जाति चमार दर्ज होना पाया जाता है। जमाबंदी सम्वत 2051-2054 में भी प्रार्थी के पितामह का नाम खाता संख्या 114 में मोत्या पुत्र पन्ना जाति गूजर एंव खाता संख्या 115 में मोत्या पुत्र पन्ना ~~पुत्र~~ जाति चमार दर्ज होना पाया जाता है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075-78 में वादी के पिता का नाम रिज्युम मोत्या पुत्र भोयो जाति गूजर ख.न. 38 रकबा 2.11 बीघा ख.नं. 187 रकबा ~~112~~ 0.12 बीघा दर्ज है पुरानी रिकार्ड गत जमाबंदियों की जांच करने पर पाया कि जमाबंदी सम्वत 2034-2037 में खातेदार का नाम कलाई गिरी मोत्या पुत्र पन्ना कौम चमार सी.दे.ह दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्वत 2038-2041 में खाता सं0 104 मे खातेदार का नाम मोत्या पुत्र पन्ना कोम गूजर सहवन से दर्ज होना पाया जाता है तब से वर्तमान तक चमार का गूजर चला आ रहा है। उसी प्रकार पटवारी हल्का द्वारा अपनी	

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

[redacted]

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

रिपोर्ट में बताया कि जमाबंदी संवत 2055 - 2058 में
प्रार्थी के पिता का नाम माधो से माधो सुदर्शन से
दर्ज हुआ प्रार्थी के दादा का वास्तविक नाम पन्ना एंव जाति
चमार ही होना बताया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार एंव तहसीलदार
छबड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के दादा का
नाम माधो के स्थान पर पन्ना तथा जाति गुजर
के स्थान पर चमार दर्ज किया जाना उचित
प्रतीत होता है।

मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट
के आधार एंव पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार
पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 (R एक्ट)
के तहत ग्राम बिंदारीडी जमाबंदी संवत 2075-2078
के खाता संख्या 135 में प्रार्थी के दादा का नाम माधो
के स्थान पर पन्ना एंव जाति गुजर के स्थान पर चमार
(बैरवा) दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को
दिये जाते हैं। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना
सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)